न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	31 / 22 (2022 / 122)	22.11.2022	सरकार बनाम शेरसिंह	29.04.2026	1 लगायत 4

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) वजीरपुर।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. शेरसिंह पुत्र हरज्ञान जाति जाट। — अप्रार्थी

उपस्थितः—

1. प्रार्थी पक्ष की और सेः— पेरोकार सरकार
2. अप्रार्थी पक्ष की और से :— विद्वान अभिभाषक श्री सतीश चन्द्र शर्मा

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14 (4) राजस्थान भू—राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970

निर्णय

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र अप्रार्थी (आंवटी) को ग्राम वजीरपुर में स्थित भूमि खं0नं0 2660 रकबा 0.31 है0 किस्म बारानी अलिफ में किये गये आंवटन दिनांक 27.06.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, साथ ही प्रार्थीपक्ष ने उक्त आवंटन दिनांक 27.06.2002 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई । अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्षों की सहमति पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि जमाबन्दी सम्वत् 2058—2059 में आराजी खसरा न० 2880 रकबा 0.31 है०—बारानी अलिफ शेरसिंह पुत्र हरज्ञान जाति जाट सा० देह गैरखातेदार को ग्राम वजीरपुर में श्रीमान उपजिला कलेक्टर महो० गंगापुर सिटी के आदेश क्रमांक 1613—15 दिनांक 27.06.2002. आवंटन होने पर आराजी खसरा नम्बर 2660 रकबा 0.31 है० किस्म बारानी अलिफ भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 1051 ग्राम वजीरपुर में गैरखातेदारी स्वीकृत की जाकर जमावन्दी सम्वत् 2056—2059 में गैरखातेदार का नोट अंकित किया गया। जो आदिनांक तक जमाबन्दी संवत 2076—2079 में गैरखातेदार दर्ज है। वाके ग्राम वजीरपुर में मुताबिक जमावन्दी सम्वत् 2004—2067 के खसरा नं0 2660 रकवा 0.31 है० बारानी अलिफ दर्ज है। जो उक्त जमाबन्दी के खाता नं0,826 के अनुसार शेरसिंह पुत्र हरज्ञान जाति जाट सा० देह गैरखातेदार दर्ज है। ग्राम वजीरपुर के आराजी खसरा नं0 2660 रकबा 0.31 है० किस्म बारानी अलिक पर मुताविक रिपोर्ट तत्कालीन पटवारी वजीरपुर के आवंटी द्वारा चार वर्षों

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

से लगातार काश्त की है। इस रिपोर्ट पर तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा आदेश क्रमांक 2387 दिनांक 04.11.2010 से गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जाने पर तत्कालीन हल्का पटवारी वजीरपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1491 शेरसिंह पुत्र हरज्ञान जाति जाट सा० देह गैरखातेदार से खातेदारी दिये जाने हेतु दिनांक 26.11.2010 दर्ज किया गया। जिसे तत्कालीन भू–अभिलेख निरीक्षक वजीरपुर द्वारा जांच किये जाने पर तत्कालीन नायब तहसीलदार वजीरपुर द्वारा दिनांक 18.05.2011 को आवंटी का मौके व रिकार्ड खसरा गिरदावरी में कब्जा व जिस दर्ज नहीं होने एवं आवंटन नियमों की पालना नहीं करने का नोट अंकित करते हुए नामान्तरकरण खारिज किया जाकर नियम 14(4) के तहत कार्यवाही करने की हिदायत की गयी। आवंटी शेरसिंह पुत्र हरज्ञान जाति जाट सा० देह गैरखातेदार द्वारा मुताविक रिपोर्ट पटवारी मौके पर संवत् 2084 में फसल सरसों 0.31 है० एवं सवत् 2065 में फसल सरसों 0.31 है० काश्त की गयी है एवं मुताविक फर्द मौका रिपोर्ट भूमि मौके पर खाली है। इसमें कोई काश्त नहीं की जा रही है। गैरखातेदारान का कब्जा नहीं है। नायब तहसीलदार वजीरपुर द्वारा दिनांक 18.05. 2011 को आवटी का मौके व रिकार्ड खसरा गिरदावरी में कब्जा व जिंस दर्ज नहीं होने एवं आवंटन नियमों की पालना नहीं करने का नोट अकित करते हुए नामान्तरकरण खारिज किया जाकर नियम 14(4) के तहत कार्यवाही करने की हिदायत के साथ निर्णय पारित किया गया है, साथ ही प्रार्थी पक्ष ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन निरस्त कर भूमि सिवायचक घोषित करने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि आवंटी द्वारा आवंटीत भूमि पर सम्वत् 2064 व 2065 में सरसों की काश्त की थी तथा पटवारी हल्का द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में आवंटी द्वारा उक्त वाद आराजीयात काश्त करना अंकित किया है। नामान्तकरण संख्या 1491 में भी पटवारी हल्का द्वारा आवंटी को गैरखातेदारी से खातेदारी देने हेतु अभिशंषा की है, जिसमें भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी जांच की गई अंकन सही होना अंकित किया है, लेकिन नायब तहसीलदार द्वारा बिना किसी जांच के कार्यालय में ही बैठकर आवंटी का मौके व रिकोर्ड खसरा गिरदावरी में कब्जा व जिस दर्ज नहीं होना अंकित कर उक्त नामान्तकरण खारिज कर नियम 14 (4) के तहत कार्यावाही करने हेतु निर्णय पारित कर दिया जो नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है, साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। आवंटी को उक्त भूमि राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 (आवंटन नियम 14) के तहत आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन आदेश में निम्न शर्तें अंकित की हुई है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Scanned with CamScanner

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 31/2022 सरकार बनाम शेरसिंह

1. आवंटन गैर खातेदारी अधिकार के बतौर है। 10 साल की अवधि के बाद अलाटी को खातेदारी अधिकार दिये जायेगे। यदि इस अवधि में आवंटन की सभी शर्तो की पालना करेगा। अलाटी गैरखातेदारी अधिकार एवं जिम्मेदारियां जो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 से प्रभावित होगे।
2. आवंटन नियम 14 (2) के अन्तर्गत स्वीकृत लगान की दर के अनुसार वार्षिक लगान अदा करेगा।
3. अलाटी आवंटन होने के वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत भूमि काश्त करेगा और शेष भूमि द्वितीय वर्ष में काश्त करेगा।
4. अलाटी तालाब कुआ रहने के घर जो सुधार की परिभाषा क्लाज (19) दफा 5 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट मे है के अलावा खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से पूर्व कोई पक्का निर्माण व मकान नहीं बनायेगा।

इसके अलावा राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 14 **Condition of Allotment** में आवंटन की शर्तो का अंकन किया हुआ है।

उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा पूर्व में नामान्तकरण सं0 1491 में दिनांक 26.12.2010 को गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदान करने की अभिशंषा की है तथा भू-अभिलेख निरीक्षक ने दिनांक 02.12.2010 को जांच की गई अंकन सहीं है। रिपोर्ट प्रस्तुत की है। भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा पुनः दिनांक 02.08.2021 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौके व रिकार्ड खसरा गिरदावरी में कब्जा व जिंस दर्ज नहीं है। अतः आवंटन नियमों की पालना नहीं हुई है। इस प्रकार भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा वाद आराजीयात के संबंध में दो पृथक-पृथक रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा प्रार्थी पक्ष द्वारा भी अपने समर्थन में आवंटन समय से आंदिनांक तक खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रति भी न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी स्थिती में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः तहसीलदार वजीरपुर को प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रार्थी पक्ष आवंटन आदेश में अंकित शर्ते तथा राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 14 **Condition of Allotment** में अंकित शर्तो का पुनः परिक्षण करें यदि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया हुआ है तो सम्पूर्ण राजस्व अभिलेख के साथ पुनः न्यायालय हाजा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Scanned with CamScanner

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 31/2022 सरकार बनाम शेरसिंह

में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Scanned with CamScanner